वित्त निर्देश 37/2010

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 307/10/वित्त/नियम/चार/2010 रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय :- छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2010 ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1977 के स्थान पर दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 लागू करने का निर्णय लिया गया है । अवकाश नियम 2010 में अवकाश नियम 1977 के अप्रचलित एवं अनुपयोगी प्रावधानों को हटाकर नये शामिल प्रावधानों में उल्लेखनीय बिंदु निम्नानुसार हैं-

1. अर्जित अवकाश संचय की अधिकतम सीमा में वृद्धि करते हुए 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया गया है । यदि किसी शासकीय सेवक के खाते में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक जी-1/3/96/सी/चार, दिनांक 20.06.97 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.10.2010 की स्थिति में 01.07.2010 को अग्रिम जमा की गई कुछ अवकाश पृथक से रखा गया है तो उक्त अवकाश को दिनांक 01.10.2010 को अवकाश लेखे में जमा कर दिया जाएगा ।

2. अवकाश नियम 1977 में भारत के अन्दर अधिकतम 120 दिन तथा भारत के बाहर 240 दिन तक, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान था । उक्त प्रावधान के स्थान पर सभी प्रकरणों में, एक समय में अर्जित अवकाश स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 180 दिन निर्धारित किया गया है ।

3. अवकाश नियम 1977 में अर्द्धवैतनिक अवकाश की पात्रता प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 20 दिन निर्धारित थी । उक्त प्रावधान के स्थान पर अवकाश नियम 2010 में अर्जित अवकाश के समान ही वर्ष में दो बार 01 जनवरी तथा 01 जुलाई को 10-10 दिन अग्रिम जमा करने का प्रावधान किया गया है । चूंकि अर्द्धवैतनिक अवकाश का अग्रिम जमा दिनांक 01.01.2011 से प्रारंभ होगा । अत: इसके में पूर्व जिस तिथि को अर्द्धवैतनिक खाते में पिछले पूर्ण वर्ष हेतु अवकाश जमा किया गया था, उस तिथि से दिनांक 31.12.2010 तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए डेढ़ दिन प्रति माह की दर से अर्द्धवैतनिक अवकाश दिनांक 01 जनवरी, 2011 को उसके खाते में जमा किया जायेगा । इसके पश्चात् उसी तिथि को नियमानुसार वर्ष 2011 के प्रथम अर्धवार्षिकी हेतु अर्द्धवैतनिक अवकाश अग्रिम जमा किया जाये ।

4. मातृत्व अवकाश तथा दत्तक ग्रहण अवकाश को 90 दिवस से बढ़ाकर 135 दिवस किया गया है । यदि कोई महिला शासकीय सेवक इस नियम के लागू होने की तिथि में मातृत्व अवकाश पर है तो उसे भी मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि का लाभ प्राप्त होगा ।

5. वर्तमान में पितृत्व अवकाश की सुविधा प्रथम बच्चे के लिये है, अब यह सुविधा द्वितीय बच्चे के लिए भी होगी ।

6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं अवकाश निमय 2010 में अवकाश लेखे के प्रपत्र में संशोधन किया गया है । अत: सभी कार्यालय प्रमुख उनके अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों को अवकाश लेखा दिनांक 01.01.2011 की स्थिति में पूर्व शेष को अंतरित करते संशोधित प्रपत्र में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें ।

7. यह नियम छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के वेबसाईट http://cgfinance.nic.in/ में 'Rules & Acts' खण्ड में उपलब्ध है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.एस. विश्वकर्मा)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 308/10/वित्त/नियम/चार/2010, रायपुर, दिनांक 01 अक्टूबर 2010

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग